हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्याः पीसीएच–एचए(1)2/2019– विभाजन/पुर्नगठन 54154-57 दिनांक 26 अगस्त, 2020

अधिसूचना

क्योकि उपायुक्त शिमला के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला उना के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुर्नगठन हेतु, प्रस्तावनाएं विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पचांयती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप–धाराओं (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शिमला के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को नियमानुसार पुर्नगठित करने का प्रस्ताव करते है और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम पंचायत सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव एवं यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए राज्य सरकार के ई–राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला शिमला के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुर्नगठन/जोडने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हो तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला शिमला को प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएगें;

राज्य सरकार जिला शिमला के निम्न अनुसूचित में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुर्नगठन बारे में अन्तिम अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला शिमला की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

क सं	वर्तमान ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रमों को अवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रमों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रमों के नाम	ग्रम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुर्नगठन उपरान्त समस्त ग्रामों ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में शेष बचे ग्रामों के नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**विकास खण्ड मशोबरा**						
	1 रामपुर क्योंथल मुख्यावास का	1 रामपुर	आंजी	वागी	1 वडोह	1 रामपुर	

	नाम रामपुर क्योंथल						
		2 उपमुहाल रामपुर 2			2 वगना	2 उपमुहाल रामपुर 2	
		3 उपमुहाल रामपुर–3			3 पंती	3 उपमुहाल रामपुर–3	
		4 शगीन			4 धनोखर	4 शगीन	
		5 मधोली			5 चनान	5 मधोली	
		6 विजली			6 मझौला	6 विजली	
		7 खरोग			7 शिल्ली वागी	7 खरोग	
		8 हियोन			8 क्यारगी	8 हियोन	
		9 शमलीग			9 पटीना	9 शमलीग	
		10 दनूल			10 शिल्डू	10 दनूल	
		11 जडेहल			11 वलावग	11 जडेहल	
		12 दूह			12 आंजी	12 दूह	
		13 आंजी					

आदेश द्वारा
सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0 संख्याः उपरोक्तः 54154-157 दिनांक 26 अगस्त, 2020

प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1 उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सुझवों/आक्षेपों यदि कोई हो, को सुझाव तथा आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों के भीतर निपटारा करके ई–मेल या विशेष वाहक द्वारा इस निदेशालय को प्रेषित करने की कृपा करें।

2 जिला पंचांयत अधिकारी शिमला को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिशिचित करवाएगें।

3 समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला शिमला हि0प्र0. को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पचांयत के प्रधान/सचिव को सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतु उपलब्ध करवाएं तथा इसका व्यापक प्रचार भी सुनिशिचित करें।

4 समस्त सम्बन्धित प्रधान/ सचिव ग्राम पचांयत जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को (सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटट पर चसपान सुनिशिचित करवाऐगें तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार करे।

संयुक्त सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।